शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/155/2015–1/430/2014 लखनऊः दिनांक 26 मार्च, 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आवंटित का आहरण एक मुश्त करके ग्राम पंचायतों के खातें में सीधे उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 20/3580/33–3–2014–100(21)/2014 दिनांक 31.12.2014 के प्रस्तर–14 में आवंटित की गयी धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी, के कम में संयुक्त सचिव, पचायती राज, अनुभाग–3 उ0प्र0शासन के संशोधित शासनादेश संख्या 832/33–3–2014–100 (21)/2014 दिनांक 26.03.2015 (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31.12.2014 के प्रस्तर–14 को सशोधित करते हुए **आवंटित की गयी धनराशि का आहरण एक मुश्त करके ग्राम पंचायतों के खाते में सीधे उपलब्ध कराया जायेगा,** के निर्देश दिये गये है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त संशोधित शासनादेश दिनांक 26.03.2015 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्याः1/शा0/155/1/2015 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
2– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
4– समस्त, जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
5– समस्त, मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6– समस्त, मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
7– जिला पंचायत राज अधिकारी(मु0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
8– एस0पी0एम0यू0 सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(महेन्द्र नारायण)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।